

Publications	Editions	Published On
Business Remedies	Jaipur	15.08.2024
Nafa Nuksan	Jaipur	15.08.2024

आर एस डब्लू एम लिमिटेड

सीआईएन: L17115RJ1960PLC008216

पंजीकृत कार्यालय: खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा-311021, राजस्थान

फोन: +91-1483-223144 से 223150, 223478, फैक्स: +91-1483-223361, 223479

कॉर्पोरेट कार्यालय: भीलवाड़ा टॉवर्स, ए - 12, सेक्टर - 1, नोएडा - 201 301 (उ.प्र.)

फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841

ईमेल: rsm.investor@lnjbhilwara.com; वेबसाइट: <http://www.rsmw.in>

63वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंदी की सूचना

10 अगस्त, 2024 को जारी किए गए हमारे समाचार-पत्र के विज्ञापन के क्रम में, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड ("कम्पनी") की 63वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 13 सितम्बर, 2024 को 2:00 बजे अपराह्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से, कार्यक्रम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 63वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसायों के सम्बद्ध हेतु आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय खारीग्राम, पी.ओ. गुलाबपुरा-311 021, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान माना जाएगा।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 के साथ पठित इस संबंध में एमसीए द्वारा जारी पिछले परिपत्रों (इसके पश्चात "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम योर्ड ("सेवी") द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-Pod-2/P/CIR/2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023 के साथ पठित इस संबंध में सेवी द्वारा जारी पिछले परिपत्रों (इसके पश्चात "सेवी परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) (एमसीए परिपत्रों एवं सेवी परिपत्रों को सामूहिक रूप से "लागू परिपत्र" के रूप में संदर्भित किया जाता है) के अनुपालन में कम्पनियों को 30 सितम्बर, 2024 तक एजीएम का आयोजन, सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है। तदनुसार, कम्पनी की 63वीं वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। 63वीं वार्षिक आम बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय खारीग्राम, पी.ओ. गुलाबपुरा-311 021, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान माना जाएगा।

लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी के 63वीं एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंकेक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, निदेशकों की रिपोर्ट, अंकेक्षकों की रिपोर्ट इसके अतिरिक्त अन्य वांछित संलग्नक दस्तावेजों सहित, 14 अगस्त, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा कम्पनी के सदस्यों, जिनका ईमेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत है, को प्रेषित कर दी गई है। सदस्यों को 63वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को लागू परिपत्रों के हवाले से समाप्त कर दिया गया है।

कम्पनी के 63वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.rsmw.in पर, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् वीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु निर्देश:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 एवं सेवी (सूचीबद्धता वाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 तथा लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी अपने सदस्यों को, 63वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय(ओं) के एजीएम में संपादित होने के सम्बन्ध में, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) – अधिकृत एजेंसी के माध्यम से, रिमोट ई-वोटिंग/के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। डिमेटरियलाइज्ड तौर पर, भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को लागू परिपत्रों के हवाले से समाप्त कर दिया गया है।

कम्पनी के 63वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.rsmw.in पर, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् वीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु निर्देश:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 एवं सेवी (सूचीबद्धता वाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 तथा लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी अपने सदस्यों को, 63वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय(ओं) के एजीएम में संपादित होने के सम्बन्ध में, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) – अधिकृत एजेंसी के माध्यम से, रिमोट ई-वोटिंग/के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। डिमेटरियलाइज्ड तौर पर, भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को लागू परिपत्रों के हवाले से समाप्त कर दिया गया है।

कम्पनी के सदस्यों को वोटिंग का अधिकार करने के अनुसार, भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या कट-ऑफ तिथि को दर्ज हो, केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने हेतु अधिकृत होंगे और जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उन्हें एजीएम की सूचना को जानकारी मात्र के उद्देश्य से व्यवहृत करना चाहिए।

शुक्रवार, 6 सितम्बर, 2024 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार, भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों/लाभार्थियों के रजिस्टर या कट-ऑफ तिथि को दर्ज हो, केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने हेतु अधिकृत होंगे। ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया गया है।

कम्पनी के सदस्यों को रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 7 सितम्बर, 2024 से शुक्रवार, 13 सितम्बर, 2024 (दोनों दिवस समिलित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

शुक्रवार, 6 सितम्बर, 2024 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार, भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों/लाभार्थियों के रजिस्टर या कट-ऑफ तिथि को दर्ज हो, केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने हेतु अधिकृत होंगे। ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया गया है।

कम्पनी के सदस्यों को वोटिंग का अधिकार करने के अनुसार, भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों/लाभार्थियों के रजिस्टर या कट-ऑफ तिथि को दर्ज हो, केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने हेतु अधिकृत होंगे। ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया गया है।

वे सदस्य, जिनका ईमेल पता एवं बैंक विवरण कम्पनी या उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी प्रतिभागी/ओं के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना ईमेल पता एवं बैंक विवरण पंजीकृत करें:

भौतिक शेयर धारिता के मामले में	कम्पनी के रजिस्टर एवं ड्राइंसफर एजेंट अर्थात् एजीएम की प्रबंधन और प्रशासन नियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी की प्रदत्त समता शेयर धूंजी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपालन में होगा। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों/लाभार्थियों के रजिस्टर या कट-ऑफ तिथि को दर्ज हो, केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने हेतु अधिकृत होंगे। ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया गया है।
--------------------------------	--

डीमैट शेयर धारिता के मामले में	कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमैट खाता में पंजीकृत करें।
--------------------------------	---

कम्पनी के निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग प्रक्रिया के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हेतु श्री महेश कुमार गुप्ता, संव्यावसायिक कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 2870), मेसर्स महेश कुमार गुप्ता एंड कम्पनी, की संवीक्षक के तौर पर नियुक्त की है।

परिणाम की घोषणा वार्षिक आम बैठक के समाप्तन के अन्दर, कम्पनी की वेबसाइट www.rsmw.in पर, एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित कर तथा स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com में फाइलिंग कर की जाएगी। इन्हें कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। मर्तों की अपेक्षित संख्या के शर्तानुरूप, प्रस्तावों को एजीएम की तिथि अर्थात् 13 सितम्बर, 2024 को पारित माना जाएगा।
--

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु 'फ्रीकॉल्टी आस्कर्ड क्वेश्चन्स' (FAQs) एवं शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 022-4886 7000 एवं 022-2499 7000 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत हेतु, कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल को निर्दिष्ट ईमेल आईडी: evoting@nsdl.co.in से संपर्क करें।
--

मंडल के आदेशानुसार कृते आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड हास्ता/- सुरेन्द्र गुप्ता
--

वी.पी. लीगल व कम्पनी सचिव

एफसीएस-2615

स्थान: नोएडा (च.प्र.) दिनांक: 14 अगस्त, 2024
